भारतीय तटरक्षक
(रक्षा मंत्रालय)

तटरक्षक भर्ती कार्मिक परीक्षा (सीजीईपीटी) – 02/2024 बैच
के माध्यम से भारतीय तटरक्षक में नाविक (जनरल ड्यूटी) के रूप में शामिल होने का अवसर
आवेदन दिनांक 13 फरवरी 24 (1100 बजे) से 27 फरवरी 24 (1730 बजे) तक
'ऑनलाइन' स्वीकार किए जाएंगे

1. **पात्रता संबंधी शर्तें.** भारतीय तटरक्षक, संघ का सशस्त्र बल, **नाविक (जनरल ड्यूटी) के पद** पर भर्ती के लिए अधोलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने वाले भारतीय पुरूष नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है ।

2. **शैक्षणिक योग्यता**.

(क) **नाविक (जनरल ड्यूटी)** स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गणित एवं भौतिकी विषय के साथ 10+2 उत्तीर्ण।

नोट: (i)ऑनलाईन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की अंकतालिका में उल्लिखित अंकों के अनुसार सभी विषयों के अंक भरने होंगे। ऑनलाइन आवेदन में अंकों का गलत या अपूर्ण भरा जाना अभ्यर्थिता रद्द करने का कारण बनेगा ।

3. **आयु**. न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 22 वर्ष। नाविक (जनरल ड्यूटी) के पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का जन्म **01 सितंबर 2002** से **31 अगस्त 2006** (दोनों तिथियां सम्मिलित) के मध्य हुआ होना चाहिए ।

नोट: -अजा/अजजा के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्षों की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी) के अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्षों की छूट (यदि पद उनके लिए आरक्षित हैं तो) लागू रहेगी।

4. **रिक्तियाँ.** नाविक (जी डी) के पद के लिए क्षेत्र/जोनवार तथा श्रेणीवार रिक्तियों की संभावित संख्या इस प्रकार है :-

क्षेत्र/जोन	अना (सामान्य)	ई डब्ल्यू एस	अपिव	अजजा	अजा	कुल
उत्तर	31	08	17	08	14	**79**
पश्चिम	26	07	14	07	12	**66**
उत्तर पूर्व	27	07	15	07	12	**68**
पूर्व	13	03	07	04	06	**33**
उत्तर पश्चिम	05	01	03	01	02	**12**
अंडमान एवं निकोबार	00	00	01	01	01	**3**
कुल	102	26	57	28	47	**260**

नोट: (क) विभिन्न क्षेत्रों/जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र/ राज्यों का विवरण इस प्रकार है :-

उत्तर – जम्मू एवं कश्मीर**,** लद्दाख**,** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़।

पश्चिम – छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्ष्यद्वीप ।

उत्तर पूर्व – बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा ।

पूर्व - आंध्र प्रदेश, तेलंगना, तमिलनाडु, पुंडुचेरी।

उत्तर पश्चिम - गुजरात

अंडमान एवं निकोबार - अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

(ख) ये रिक्तियाँ अस्थायी हैं तथा प्रशिक्षण स्लॉट की उपलब्धता के आधार पर बदल सकती हैं।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी)/ ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कोई रिक्त पद आरक्षित न होने की स्थिति में भी ऐसे अभ्यर्थी आरक्षित अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी आयु एवं उत्तीर्ण अंकों में छूट/रियायत आदि के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि ऐसी स्थिति में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया

5. अभ्यर्थी का चयन, चरण I, II, III, एवं IV (पैरा 6 में विस्तार से उल्लेखित) में उनके प्रदर्शन के आधार पर अखिल भारतीय मेरिट क्रम, चिकित्सा परीक्षा के दौरान निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करने तथा पद के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर आधारित है। भारतीय तटरक्षक में भर्ती के लिए चरण I, II, III, एवं IV में सफल होना तथा प्रशिक्षण में संतोषजनक प्रदर्शन करना अनिवार्य है। सीजीईपीटी के चरण I, II, III, एवं IV की परीक्षा से पूर्व सभी अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से पहचान की जाँच से गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में पहचान की जाँच में निम्नलिखित का सत्यापन/मिलान सम्मिलित होगा:-

(क) आवेदन पत्र में दी गई फोटो के साथ अभ्यर्थी के चेहरे की विशेषताओं/ चरण I, II, III, एवं IV में शारीरिक उपस्थिती का मिलान।

(ख) बायोमेट्रिक

(i) चरण-I भर्ती के दौरान केवल बाएँ अंगूठे का बायोमैट्रिक लिया जाएगा। यदि चरण-I के दौरान बाएँ अंगूठे का बॉयोमैट्रिक नहीं लिया जाता तो दाएँ अंगूठे का बायोमैट्रिक लिया जाएगा और बाद के सत्यापन के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। बाएँ एवं दाएँ अंगूठे के अलावा, किसी अन्य अंगुली पर बॉयोमैट्रिक के लिए विचार नहीं जाएगा ।

(ii) यदि चरण II में किसी अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक (अंगूठे का निशान) चरण I में कैप्चर किए गए बायोमेट्रिक से मेल नहीं खाता है, तो अनुमोदित प्रक्रियाओं द्वारा अभ्यर्थी की पहचान/वास्तविकता स्थापित करने का चरण II भर्ती टीम को अधिकार है तथा एक बार अभ्यर्थी की पहचान स्थापित हो जाने के बाद, अगले चरणों में सत्यापन के लिए अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक पुन: लिया जाएगा। हालांकि, यदि चरण II भर्ती टीम उपर्युक्त अनुसार

मैनुअल सत्यापन प्रक्रिया के बाद अभ्यर्थी की वास्तविकता से आश्वस्त नहीं है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(iii) यह अभ्यर्थी की ज़िम्मेदारी है, कि वह पहले से जाँच कर ले कि बायोमेट्रिक मशीनें अंगुलियों के निशानों की छवि (फिंगरप्रिंट) लेने में सक्षम हैं। यदि बायोमेट्रिक मशीनें मेहंदी, मोम आदि के कारण फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने में सक्षम नहीं हैं, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए हस्ताक्षर।

(घ) ऑनलाइन आवेदन में यथा उल्लिखित पहचान चिह्न।

<u>नोट</u>: किसी भी चरण में उपर्युक्त उल्लिखित पहचान जाँच में से किसी एक में भी असफल होना, अभ्यर्थिता रद्द होने का कारण बनेगा।

6. सीजीईपीटी परीक्षा के विभिन्न भागों का विवरण इस प्रकार है: -

(क) **<u>चरण-I कंप्यूटर आधारित परीक्षा</u>**

(i) **<u>दस्तावेज़ सत्यापन (अनंतिम रूप से उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण)</u>:** चरण I में अभ्यर्थी की पहचान ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विवरण को देख कर जाँची जाएगी। अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करते समय सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ लाने होंगे

(कक) वैध मूल पहचान पत्र (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** वोटर कार्ड **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) जैसा कि ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत/अपलोड किया गया है। आधार कार्ड धारक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहचान प्रमाण के रूप मे प्रथम विकल्प आधार कार्ड अपलोड करना होगा|
(कख) प्रवेश पत्र का एक रंगीन प्रिंट आउट (श्वेत और श्याम प्रिंट आउट की अनुमति नहीं है)।
(कग) ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई चेहरे की समान विशेषताओं वाली 02 पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ।
(कघ) **<u>केवल अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए</u>**:- मूल जाति प्रमाण पत्र और अजा/अजजा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित 02 फोटोकॉपी, मूल ट्रेन/बस टिकट, एनईएफटी भुगतान के लिए रद्द चेक पत्र और यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए वेबसाइट से डाउनलोड किया गया यात्रा फॉर्म।

<u>नोट</u>: ऑनलाइन आवेदन तथा ई प्रवेश पत्र में उल्लिखित अभ्यर्थी का विवरण (नाम, पहचान प्रमाण विवरण, जन्मतिथि) का मिलान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए गए पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन तथा ई प्रवेश पत्र में जानकारी के संबंध में उपर्युक्त दस्तावेजों में नाम/जन्मतिथि/पहचान पत्र संख्या/ फोटो में कोई विसंगति होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चरण –I में किसी अन्य दस्तावेज़ की जाँच नहीं की जाएगी तथा यह केवल प्रारम्भिक बुनियादी दस्तावेज़ सत्यापन है। विस्तृत दस्तावेज़ सत्यापन आगे के पैराग्राफों में उल्लिखित नियमों के अनुसार चरण-II तथा चरण –III में किया जाएगा।

(ii) **<u>बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग.</u>** बायोमेट्रिक सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों को चरण–I में बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग से गुजरना होगा। चरण–I में प्राप्त किए गए बायोमेट्रिक डाटा को बाद के चरणों अर्थात चरण-II, चरण-III तथा चरण-IV में सत्यापित/पुन: कैप्चर किया जाएगा। यदि चरण-II पर बायोमेट्रिक पुन: कैप्चर किया जाता है, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 5 (ख) (ii) में बताया गया है, तो पुन: कैप्चर किया गया बायोमेट्रिक डाटा चरण – III और चरण-IV के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

(iii) आवेदित पद के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नलिखित परीक्षाओं से गुजरना होगा:-

क्रम सं	**आवेदित पद**	**लिखित परीक्षा**	**उत्तीर्णांक**	**अभ्युक्ति**
(क)	नाविक (जनरल ड्यूटी)	भाग (I+II)	30+20=50 (अना/ईडबल्यूएस/अपिव) 27+17= 44 (अजा/अजजा)	भाग I और II में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(iv) लिखित परीक्षा के विभिन्न भागों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम सं.	**परीक्षा का नाम**	**परीक्षा का विवरण**	**विषयवार प्रश्नों की संख्या**	**उत्तीर्णांक**	**पाठ्यक्रम**
(कक)	भाग I	अधिकतम अंक – 60 समय – 45 मिनट कुल प्रश्नों की संख्या – 60	गणित – 20 विज्ञान - 10 अंग्रेजी – 15 तर्कशक्ति–10 सामान्य ज्ञान – 5	30 (अना/ईडबल्यूएस/ अपिव श्रेणी) 27 (अजा/अजजा श्रेणी)	कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम
(कख)	भाग II	अधिकतम अंक – 50 समय – 30 मिनट कुल प्रश्नों की संख्या – 50	गणित – 25 भौतिकी– 25	20 (अना/ईडबल्यूएस /अपिव श्रेणी) 17 (अजा/अजजा श्रेणी)	कक्षा 12वीं गणित एवं भौतिकी का पाठ्यक्रम

(v) **अंकों का सामान्यीकरण.** अलग-अलग पारियों में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को वस्तुनिष्ठ तरीके से सांख्यिकीय पद्धति से तर्कसंगत बनाने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को परिणाम घोषित होने से पूर्व निम्नलिखित सूत्र द्वारा सामान्यीकृत किया जाएगा :-

$$\mathbf{M_{ij} = \frac{M_t^g - M_q^g}{M_{ti} - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^{gm}}$$

जहाँ:

M_{ij} = iवीं पारी में jवें अभ्यर्थी के सामान्यीकृत अंक

M_t^g = सभी पारियों पर विचार करते हुए शीर्ष 0.1% अभ्यर्थियों के औसत अंक हैं। (अभ्यर्थियों की संख्या को राउंड अप किया जाएगा)

M_q^g= सभी पारियों पर विचार करते हुए परीक्षा में अभ्यर्थियों के माध्य तथा मानक विचलन अंकों का योग है।

M_{ti} = iवीं पारी में शीर्ष 0.1% अभ्यर्थियों के औसत अंक हैं। (अभ्यर्थियों की संख्या को राउंड अप किया जाएगा)

M_{iq} = iवीं पारी के माध्य अंक तथा मानक विचलन का योग है।

M_{ij} = $i^{वीं}$ पारी में $j^{वें}$ अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त वास्तविक अंक हैं।

M_q^{gm} =सभी पारियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों के अधिकत्तम माध्य एवं मानक विचलन वाली पारी में अभ्यर्थियों के माध्य अंकों का योग है ।

Note: (i) प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा जिसमें प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को सही विकल्प का चयन करना है।

(ii) ऋणात्मक अंकन नहीं है ।

(iii) भाग I तथा भाग II का विस्तृत पाठ्यक्रम भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ख) **चरण**-II कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में प्रदर्शन, भारतीय तटरक्षक द्वारा निर्धारित अनुपात और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर अभ्यर्थियों को चरण –II के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तथा अनंतिम ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। ईप्रवेश पत्र- डाऊनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट पर उल्लिखित निश्चित अवधि के भीतर नीचे दिए गए पैरा 7(ई) में उल्लिखित अतिरिक्त दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। भारतीय तटरक्षक द्वारा प्रख्यापित समय सीमा के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज़ अपलोड करने में विफल होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। चरण II की अवधि 1-2 दिन है तथा यह आवंटित केंद्र पर आयोजित की जाएगी। चरण - II में निम्नलिखित परीक्षाएं शामिल होंगी जो केवल अर्हता तय करने के लिए होंगी अर्थात् या तो अनंतिम रूप से उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का निर्णय करने के लिए हैं : -

(i) **मूल्यांकन/अनुकूलनशीलता परीक्षा**. बायोमेट्रिक सत्यापित अभ्यर्थियों को ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा से गुजरना होगा जिसका परिणाम परीक्षा के आयोजन के एक घंटे बाद घोषित किया जाएगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे ही परीक्षा के अगले चरण में अर्थात शारीरिक स्वस्थता परीक्षा में जाएंगे।

(ii) **शारीरिक स्वस्थता परीक्षा.** शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा से गुजरने वाले अभ्यर्थी अपने जोखिम पर इस परीक्षा में भाग लेंगे। सभी उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे स्पोर्ट्स रिग (जूते, टी-शर्ट, ट्राउजर इत्यादि) अपने पास रखें। शारीरिक स्वस्थता परीक्षा इस प्रकार होगी :-

(कक) 1.6 किमी की दौड़ 7 मिनट में पूरी करना (कख) 20 ऊठक बैठक (Squat ups) (कग) 10 पुश-अप	शारीरिक स्वस्थता परीक्षण के सभी तीनों परीक्षण बिना रुके लगातार संचालित किए जाएंगे। तीनों परीक्षण में किसी के भी दौरान विश्राम लेने की स्थिति में अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा ।

(ii) **दस्तावेज सत्यापन**. ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी मूल दस्तावेजों जैसे कक्षा $10^{वीं}$/कक्षा$12^{वीं}$ /डिप्लोमा की अंकसूची/ पहचान प्रमाण आधार कार्ड) **या** पैन कार्ड **या** वोटर आईडी कार्ड **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट (/ जाति प्रमाणपत्र / प्रत्येक विषय एवं कुल अंकों/सीजीपीए (जैसा लागू हो) से मेल खानी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, अपलोड किए गए दस्तावेज़ चरण-II में नाम, जन्मतिथि, अभिभावकों के नाम, विषयवार अंक/सीजीपीए (जो भी लागू हो), दस्तावेजों की वैधता, जाती प्रमाण पत्र विवरण आदि के संदर्भ में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति/भिन्नता/त्रुटि दस्तावेज़ सत्यापन में विफलता का कारण बनेगी तथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। सभी दस्तावेज़ों को जारी करने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि या आवेदन की अंतिम तिथि से पहले की कोई तिथि होनी चाहिए। सभी अपलोड किए गए

दस्तावेज़ की वैधता कम से कम **28 फरवरी 25** तक होनी चाहिए। ऑनलाईन आवेदन पत्र में किसी भी असत्य घोषणा से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज जांच के दौरान अस्वीकृति के सामान्य कारणों को https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/reasonForRejection.html. पर देखा जा सकता है।

(iii) **भर्ती चिकित्सा परीक्षा.** चिकित्सा अधिकारी निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सा फिटनेस के लिए अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगा तथा उन्हें योग्य (फिट)/ अयोग्य (अनाफिट) घोषित करेगा। अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी जो अपील करना चाहते हैं, उन्हें किसी निर्दिष्ट अपील चिकित्सा को रेफर किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती चिकित्सा परीक्षा की तारीख (जिसमें उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है) से अधिकत्तम 21 दिन की अवधि के भीतर अपील चिकित्सा केंद्र को रिपोर्ट करना होगा। अपील मेडिकल के दौरान सैन्य अस्पताल में विशेषज्ञ की राय के अलावा कोई अन्य चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं है। अपील चिकित्सा जाँच को अंतिम माना जाएगा तथा अभ्यर्थी को किसी अन्य अथवा उसी अस्पताल में दोबारा अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

नोट: (i) भर्ती चिकित्सा के आयोजन का कार्यक्रम बदल सकता है तथा प्रशासनिक अथवा तकनीकी कारणों के अंतर्गत, भर्ती प्राधिकारी के विवेकानुसार किसी भी चरण में इसे नामांकन पूर्व चिकित्सा से जोड़ा जा सकता है।

(ii) चरण-II भर्ती केंद्र में फिट घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भारतीय तटरक्षक द्वारा दस्तावेजों की आगे की जाँच के दौरान दस्तावेज़ सत्यापन में अयोग्य घोषित किया जा सकता है क्योंकि चरण II के आयोजन के बाद/अंतिम मेरिट/परिणाम के प्रकाशन से पहले तक भी भर्ती प्रक्रिया के कई चरणों में दस्तावेज़ सत्यापन किया जाता है जैसा की निम्नलिखित पैरा 13 (स) में उल्लेखित है।

(iii) प्रशिक्षण अकादमी (आई एन एस चिल्का) में प्रवेश की तारीख से चार (04) सप्ताह पहले मेडिकल (प्रारम्भिक भर्ती तथा अपील) पूर्ण न करने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

(ग) **चरण –III के लिए अंतिम मेरिट सूची तैयार करना.** भारतीय तटरक्षक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का पुन: सत्यापन (अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति में) करेगा तथा मेरिट तैयार करने के लिए केवल उन अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जो दस्तावेज़ सत्यापन में अर्हता प्राप्त करेंगे तथा प्रारंभिक/अपील मेडिकल में फिट घोषित किए जाएंगे। चरण-I में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर अखिल भारतीय मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चरण-I में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में मेरिट में टाई ब्रेकिंग (निर्णायक) नियम इस प्रकार है [जहां कहीं भी टाई ब्रोकन (निर्णायक काल) होगा अगला चरण पहले नहीं होगा]

(क क) भाग –I में अभ्यर्थी अधिक अंक प्राप्त कर रहा है।

(क ख) अधिक आयु का अभ्यर्थी मेरिट में उच्च होगा।

(घ) **चरण-III.** जो अभ्यर्थी चरण-I तथा चरण-II में अर्हता प्राप्त करते हैं तथा उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार मेरिट में आते हैं , उन्हें आईएनएस चिल्का में प्रशिक्षण के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तथा उन्हें अनंतिम ई- प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। चरण-III की अवधि 1-2 दिन है। साथ ही, आईएनएस चिल्का एक नौसेना प्रशिक्षण स्थापना है, इसलिए प्रशिक्षण बेस पर प्रचलित सत्यापन प्रक्रिया लागू है । चरण-III में निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(ii) **<u>दस्तावेज सत्यापन (अनंतिम रूप से 'उत्तीर्ण' या 'अनुत्तीर्ण'</u>** . ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी मूल दस्तावेजों जैसे कक्षा 10वीं/कक्षा12वीं /डिप्लोमा की अंकसूची/ पहचान प्रमाण आधार कार्ड) **या** पैन कार्ड **या** वोटर आईडी कार्ड **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट / जाति प्रमाणपत्र / प्रत्येक विषय एवं कुल अंकों/सीजीपीए (जैसा लागू हो) से मेल खानी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, अपलोड किए गए दस्तावेज़ चरण-।। में नाम, जन्मतिथि, माता -पिता के नाम, विषयवार अंक/सीजीपीए (जो भी लागू हो), दस्तावेजों की वैधता, जाति प्रमाण पत्र विवरण आदि के संदर्भ में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति/भिन्नता/त्रुटि दस्तावेज़ सत्यापन में विफलता का कारण बनेगी तथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। सभी दस्तावेज़ों को जारी करने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि या आवेदन की अंतिम तिथि से पहले की कोई तिथि होनी चाहिए । सभी अपलोड किए गए दस्तावेज़ की वैधता कम से कम **28 फरवरी 25** तक होनी चाहिए। ऑनलाईन आवेदन पत्र में कोई भी असत्य घोषणा से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज जांच के दौरान अस्वीकृति के सामान्य कारणों को https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/reasonForRejection.html. पर देखा जा सकता है।

(ii) **<u>आईएनएस चिल्का में नामांकन पूर्व चिकित्सा.</u>** सभी चयनित अभ्यर्थियों की नामांकन पूर्व चिकित्सा परीक्षा आईएनएस चिल्का में की जाएगी। नामांकन पूर्व चिकित्सा परीक्षा का आयोजन चरण-।। भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयोजित भर्ती चिकित्सा परीक्षा तथा अभ्यर्थियों की आईएनएस चिल्का में रिपोर्टिंग की तारीख के मध्य के समय के अंतराल पर निर्भर करेगा। नामांकन पूर्व चिकित्सा परीक्षा के दौरान अयोग्य (अनफिट) घोषित अभ्यर्थियों को अपील का अवसर दिया जाएगा, यदि वे अयोग्य घोषित होने के अधिकतम 21 दिन की अवधि के भीतर निर्दिष्ट अपील चिकित्सा केंद्र (आईएनएचएस निवारिणी/ आईएनएचएस कल्याणी) में अपील करना चाहते हैं। अभ्यर्थी अपील चिकित्सा परीक्षा के लिए अपने स्वयं के व्यय पर चयनित सैन्य अस्पताल की यात्रा करेंगे तथा वापस आएंगे।

<u>नोट</u>: प्रशासनिक या तकनीकी कारणों के अंतर्गत, भर्ती प्राधिकारी के विवेकानुसार नामांकन पूर्व चिकित्सा परीक्षा के संचालन का कार्यक्रम बदल सकता है।

(iii) **<u>मूल दस्तावेज, पुलिस द्वारा सत्यापन और अन्य संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करना</u>**. सभी अभ्यर्थियों को चरण-।।। के मूल दस्तावेजों के साथ , पुलिस सत्यापन प्रपत्र एवं अन्य संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को अधिवास के स्थान या वर्तमान निवास स्थान से पुलिस सत्यापन प्राप्त करना होगा जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। सत्यापित पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के बिना या प्रतिकूल टिप्पणियों वाली रिपोर्ट वाले अभ्यर्थी नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे।

(घ) **<u>चरण IV</u>:** आईएनएस चिल्का में प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों को चरण ।।। के दौरान सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे तथा भारतीय तटरक्षक द्वारा संबंधित बोर्ड /विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार से मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा | यदि दिये गए दस्तावेजों को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार द्वारा वास्तविक नहीं बताया जाता है तो अभ्यर्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा |

7. **<u>आवेदन कैसे करें</u>**

(क) आवेदन **<u>दिनांक 13 फरवरी 24 (1100 बजे) से 27 फरवरी 24 (1730 बजे) तक</u> 'केवल ऑनलाइन'** स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को **https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/** में लॉगआन करना होगा तथा ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर के साथ खुद को पंजीकृत करने के निर्देशों का पालन

करना होगा। अभ्यर्थियों को ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर की वैधता कम से कम **28 फरवरी 25** तक सुनिश्चित करनी होगी **अभ्यर्थियों को अपना पंजीकृत ई-मेल और मोबाईल नंबर स्मरण रखना है जो की आवेदन फॉर्म में एंक्रिप्टेड होगा**। यदि अभ्यर्थी अपना ई-मेल या मोबाईल नंबर भूल जाते हैं, तो वह अभ्यर्थी डेशबोर्ड में लॉग-ईन नहीं कर सकेंगे और न ही ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड या अपना परिणाम देख सकेंगे और इसके लिए भारतीय तटरक्षक उत्तरदायी नहीं होगा। पंजीकृत ई-मेल या मोबाईल नंबर को पुनः प्राप्त करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नही किया जाएगा।

(ख) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने के लिए **https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/guidelines.html** पर उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

(ग) अभ्यर्थियों को वेबसाइट **https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/faq.html** पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ ए क्यू) का पालन करना होगा।

(घ) यदि अभ्यर्थी एक विशेष भर्ती चक्र में एकाधिक आवेदन भरता है, उसका नवीनतम भरा हुआ आवेदन स्वीकार किया जाएगा तथा पूर्व में भरे गए सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। हालांकि एक से अधिक आवेदन भरने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। पात्रता के लिए ऑनलाइन आवेदन की आगे जाँच की जाएगी तथा किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर इसे अस्वीकार किया जा सकता है। आवेदन के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए अभ्यर्थी icgcell@cdac.in पर ईमेल के माध्यम से तथा टेलीफोन नंबर 020-25503108/ 020-25503109 के माध्यम से संपर्क कर सकता है।

(ङ) **भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़.** अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ दो चरणों में अपलोड करने होंगे।कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता ऑनलाइन आवेदन के दौरान होती है तथा कुछ दस्तावेजों को चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट होने पर अपलोड करना आवश्यक होता है। अभ्यर्थियों को पद के लिए लागू मूल दस्तावेजों **(न तो फोटोकोपी और न ही स्व-सत्यापित फोटोकोपी)** को स्कैन करना होगा तथा भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान नीचे बताए अनुसार अपलोड करना होगा।

(i) **सभी अभ्यर्थियों द्वारा चरण-I से पूर्व ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपलोड किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज़**

(क क) पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्राफ (**आवेदन खोलने की तारीख से तीन महीने पहले से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए**) (केवल सिखों को छोड़कर, सिर पर बिना कुछ पहने हल्के बैकग्राउंड में सामने का चित्र), यह फोटोग्राफ इस प्रकार लिया जाए कि उम्मीदवार एक काली स्लेट पर अपना नाम, फोटो लिए जाने की तिथि स्पष्ट अक्षरों में सफेद चॉक से लिखकर उसे अपने छाती के सामने रखे हो। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होने चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए । अगर सही फोटोग्राफ अपलोड नहीं किए गए तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।

(कख) अभ्यर्थी के स्कैन किए गए हस्ताक्षर की छवि
(कग) अभ्यर्थी के बाएँ हाथ के अंगूठे की स्कैन की गई छवि

(कघ) जन्मतिथि प्रमाण (10$^{वीं}$ कक्षा अंकसूची **या** जन्म प्रमाणपत्र)

(कड़) पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेन्स **या** पासपोर्ट)

(कच) यदि अभ्यर्थी सेवारत तटरक्षक कार्मिक या तटरक्षक असैन्य कार्मिक है, तो सेवा प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र

(कछ) क्षेत्रवार भर्ती के लिए अभ्यर्थी के क्षेत्र के निर्धारण के लिए सभी अभ्यर्थियों द्वारा एक वैध अधिवास प्रमाणपत्र अपलोड किया जाना है। निवास प्रमाण पत्र 'अधिवास प्रमाण पत्र' नहीं है । **अधिवास प्रमाण पत्र के स्थान पर निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे** ।

(ii) **<u>चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़</u>.** यदि अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया के चरण II के लिए शार्टलिस्ट किया जाता है, तो उसे निम्नलिखित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे :-

(क क) श्रेणी प्रमाण पत्र {अजा/अजजा/अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्लूएस}

(क ख) 10वीं कक्षा की अंकसूची

(क ग) 10 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र

(क घ) 10 वीं कक्षा की अतिरिक्त मार्कशीट (यदि लागू हो)

(क ङ) 10वीं कक्षा हेतु सीजीपीए/ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (यदि लागू हो)

(क च) यदि अभ्यर्थी नियोजित है, तो सरकारी संगठन से अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि या उसके बाद का होना चाहिए।

(कछ) 12 वीं कक्षा की अंकसूची

(क ज) 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र

(क झ) 12वीं कक्षा हेतु सीजीपीए/ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (यदि लागू हो)

(कण) 12वीं कक्षा की अतिरिक्त मार्कशीट (यदि लागू हो)।

<u>नोट</u>– (i) अपने कोटे का लाभ ले रहे अजा/अजजा/अपिव(नॉनक्रीमी-)/ईडब्लयूएस वर्ग के आवेदकों के मामले में, उनके ऑनलाइन आवेदन में दिया गया वर्तमान या स्थायी पता उनके जाति वर्ग /(अजा, अजजा और अपिव(नॉनक्रीमी-)/ ईडब्लयूएस) प्रमाणपत्र में उल्लिखित पते के समान होना चाहिए।

(ii) ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र **भारत सरकार के फॉर्मेट (कोई अन्य फॉर्मेट स्वीकार नहीं किया जाएगा)** के अनुसार होना चाहिए। फॉर्मेट भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट **<u>https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/</u>**पर उपलब्ध है।

(iii) अभ्यर्थी का अपिव (नॉनक्रीमी लेयर-) प्रमाणपत्र भारत सरकार के अधीन पद पर नियुक्ति से संबंधित फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए और आगामी ऑनलाइन सत्यापन के लिए क्यूआरबार कोड / अंकित किया हुआ होना चाहिए। अपिव(नॉनक्रीमी-) प्रमाणपत्र का फॉर्मेट भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट

https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/पर उपलब्ध है। **(कोई अन्य फॉर्मेट स्वीकार नहीं किया जाएगा)**। किसी अन्य फॉर्मेट के उपयोग पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

(iv) **अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेजों का आकार 50 केबी एवं 150 केबी के बीच होना चाहिए।**

(v) ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों (अजा/अजजा/अपिव (नॉन-क्रीमी)/ईडब्ल्यूएस/अंकसूची/शैक्षिक प्रमाणपत्र/ पहचान प्रमाण तथा चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के जारी होने की तारीख **27 फरवरी 24** या उससे पूर्व होनी चाहिए तथा दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेजों की वैधता **28 फरवरी 25** तक होनी चाहिए।

(vi) अपलोड किए गए सभी दस्तावेज़ हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए। यदि दस्तावेज़ अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य किसी भाषा में हैं, तो अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज़ तथा उसका अंग्रेजी अनुवाद दोनों अपलोड करना होगा।

(vii) दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान धुंधली तस्वीर, अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर तथा अपलोड किए गए दस्तावेजों वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। अपलोड किए गए दस्तावेजों में छवियों की स्पष्टता अनिवार्य है। अपलोड किए गए दस्तावेजों की छवियों की स्पष्टता में किसी भी विसंगति या असामान्यता के कारण अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।अपलोड किए गए दस्तावेज़ सुपाठ्य, पढ़ने योग्य और पूर्ण होने चाहिए अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। पूरे दस्तावेज़ को स्कैन करके अपलोड किया जाना है, उदा. यदि जन्मतिथि प्रमाणपत्र या श्रेणी प्रमाण पत्र या पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) या कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं में दो या अधिक पृष्ठ हैं, तो सभी पृष्ठों को एक फाइल में मर्ज कर दिया जाएगा तथा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया जाएगा। अपूर्ण या आंशिक रूप से स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(viii) **ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ .जेपीईजी (.jpeg) तथा . जेपीजी (.jpg) प्रारूप में होने चाहिए।**

(च) **<u>परीक्षा शुल्क</u>**. अभ्यर्थियों को (अजा/अजजा अभ्यर्थियों को छोड़कर, जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी गई हो) **300/- (तीन सौ रुपए मात्र)** नेट बैंकिंग का उपयोग करते हुए या वीजा/मास्टर/ मेस्ट्रो/रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/ यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मोड पर करना होगा। **<u>परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र केवल उन्हीं आवेदकों को जारी किया जाएगा जिन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया हो और जो परीक्षा शुल्क माफी के हकदार हो।</u>**

<u>नोट</u>:- (i) एक बार भुगतान केबाद शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए इसे जमा रखा जा सकेगा।

(ii) अजा/अजजा श्रेणी के अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क में माफी के हकदार होंगे। यदि यह पाया जाता है कि परीक्षा शुल्क में छुट/लागू अन्य किसी रियायत की छूट का दावा करने के लिए असत्य अजा/अजजा श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, तो भर्ती/प्रशिक्षण के किसी भी चरण में अभ्यर्थी को सेवामुक्त/अस्वीकृत किया जा सकता है।

(iii) यदि अभ्यर्थी ने शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया है तथा उसके बैंक खाते से पैसे कट गए हैं (अर्थात असफल भुगतान), तो वह कृपया यहजाँ च ले की क्या लेनदेन संबंधी मूल खाते में शुल्क स्वत: वापस आ गया है अथवा अपने खाते में पैसे की स्वत: वापसी हेतु 15 कार्य दिवस प्रतीक्षा करे तथा मूल खाते में लेनदेन की स्थिति जाँच ले।

(iv) यदि एक अभ्यर्थी से एकल आवेदन के संबंध में एक से अधिक भुगतान प्राप्त किए जाते हैं, तो वह वापस नहीं किए जाएंगे।

(छ) **परीक्षा केंद्र शहर** – अभ्यर्थी को आवेदन में चरण-। और ।। प्रक्रिया के लिए परीक्षा केंद्र के रूप में पांच प्राथमिकताएँ देनी होंगी। अभ्यर्थियों को पहली पसंद वर्तमान/संचार निवास से 30 किलोमीटर के भीतर भरनी होगी। यदि कोई "परीक्षा केंद्र शहर" वर्तमान पते से 30 किलोमीटर के भीतर नहीं है, तो वर्तमान पते से निकटतम "परीक्षा केंद्र शहर" अभ्यर्थी की पहली पसंद होनी चाहिए।

नोट- यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त अनुसार केंद्र की पहली पसंद का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान विपरीत पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(ज) भारतीय तटरक्षक चरण-। और चरण-।। के लिए परीक्षा केंद्र आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो कि उम्मीदवार के दिए गए विकल्पों के अनुसार हो भी सकते हैं, या नहीं भी।

8. परीक्षा और ईप्रवेश पत्र डाउनलोडिंग की अंनतिम समयसारणी। परीक्षा की अनंतिम तिथियां निम्नलिखित है -:

संवर्ग	**परीक्षा/ ई प्रवेश पत्र डाउनलोडिंग-की अनंतिम तिथियां**		
	चरण-।	**चरण**-।।	**चरण**-।।। **एवं** IV
नाविक(जीडी)	मध्य / अंत अप्रैल 2024	मध्य / अंत मई 2024	प्रारंभ/ मध्य अक्टूबर 2024

नोट: (i) भारतीय तटरक्षक की वैबसाइट पर तिथि की घोषणा तब की जाएगी जब चरण-।, ।। और ।।। के लिए ई -प्रवेश पत्र डाउनलोड हेतु उपलब्ध हो | अभ्यर्थियों को दैनिक रूप से भारतीय तटरक्षक भर्ती की वेबसाइट का अवलोकन करने और विभिन्न चरणों के लिए ईप्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु- संबंधित लॉगिन आईडी से लॉगइन करने का निर्देश दिया जाता है। "ईप्रवेश -होंगे पत्र डाउनलोड के लिए कब उपलब्ध " के संबंध में अभ्यर्थियों को ईमेल या- एस एम एस नहीं भेजा जाएगा।

(ii) परीक्षा शहर, चरण-। के कम से कम 10 दिन पहले अभ्यर्थी के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के सटीक पते के साथ ई प्रवेश पत्र अभ्यर्थी के लॉगिन में उपलब्ध होगा तथा ईमेल परीक्षा से **02-03** दिन पहले पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।

(iii) ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में विफल होने तथा विभिन्न चरणों के लिए रिपोर्ट न करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी चरण-।, ।। तथा ।।। के लिए ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर दैनिक आधार पर महत्वपूर्ण भर्ती सूचनाओं की नियमित जाँच करने में विफल रहता है, तो भारतीय तटरक्षक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

9. **परिणाम की घोषणा.** चरण- । से चरण- ।।। तक भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का परिणाम तटरक्षक भर्ती की वेबसाइट पर अभ्यर्थी के अकाउंट में लॉगिन करके देखा जा सकता है। चरण-।ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम 30 दिनों में अनंतिम रूप से घोषित किया जाएगा। चरण- ।। तथा चरण- ।।। भर्ती में नियमों के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों को **वास्तविक अभ्यर्थी** नहीं माना जाएगा (क्योंकि आवेदन में असत्य/गलत जानकारी प्रस्तुत की है जो " अपलोड किए गए दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित नहीं है अथवा गलत दस्तावेज़ अपलोड किए गए हैं) तो चरण- । में उनके अंक तथा चरण- ।। तथा चरण- ।।। के लिए कट ऑफ उन्हें " अभ्यर्थी के लॉगिन से परिणाम प्रदर्शन" के दौरान सूचित नहीं किया जाएगा तथा उन्हें केवल "दस्तावेज़ सत्यापन मेंअसफलता के कारण के बारे में" सूचित किया जाएगा। इसके अलावा चरण- ।, ।। तथा ।।। में अनुपस्थित या कदाचार में शामिल पाए गए अभ्यर्थियों को उनके अंकों के बारे में सूचित नहीं किया जाएगा तथा संबन्धित पद तथा श्रेणी की कट ऑफ प्रदर्शित नहीं की जाएगी।

10. **<u>प्रत्येक चरण पर अपेक्षित दस्तावेजों की सूची</u>** परीक्षा के किसी भी चरण पर डिजिटल लॉकर के रूप में दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि परीक्षा परिसर/केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। अभ्यर्थियों को सीजीईपीटी परीक्षा के सभी चरणों पर अपने मूल दस्तावेजों को लाना होगा।

<u>चरण I</u>

(क) वैध मूल पहचान प्रमाण आधार कार्ड) **या** पैन कार्ड **या** वोटर कार्ड **या** ड्राइविंग लाईसेंस **या** पासपोर्ट (जैसा ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत अपलोड/किया गया है।

(ख) 01 ईप्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंटआउट(ब्लैक और व्हाइट प्रिंट आउट की अनुमति नहीं है)-।

(ग) 02पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ समान चेहरे की विशेषताओं के साथ जैसा कि ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया है ।

(घ) **<u>केवल अजा/अजजा आवेदकों के लिए</u>**. मूल श्रेणी प्रमाण पत्र तथा अजा/अजजा प्रमाण पत्र की दो स्व-सत्यापित फोटोकोपी, मूल ट्रेन/बस टिकट, एनईएफटी भुगतान के लिए रद्द चेक लीफ तथा टीए का दावा करने के लिए वेबसाइट से डाऊनलोड किया गया यात्रा फार्म।

<u>चरण II</u>

(क) "ऑनलाइन आवेदन और चरण-॥। के ईप्रवेश पत्र-" का रंगीन प्रिंटआउट।

(ख) पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेन्स या पासपोर्ट) जैसा कि ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत/अपलोड किया गया है।

(ग) ऑनलाइन आवेदन पत्र में जमा किए गए मूल दस्तावेज़ और चरण । के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद अभ्यर्थी लॉगिन।

(घ) सभी मूल दस्तावेजों की विधिवत स्व प्रमाणित-दो फोटोकॉपी

(ङ) आवेदन में प्रस्तुत पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ की 12 प्रतियां चेहरे की समान विशेषताओं के साथ
(च) और किसी भी सरकारी संगठन में वर्तमान में सेवारत अभ्यर्थी के लिए नियोक्ता से मूल रूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा चार स्वप्रमाणित फोटोकॉपी (यदि लागू हो)

<u>चरण III</u>

(क) "ऑनलाइन आवेदन,तथा चरण-॥। ईप्रवेश पत्र-" का रंगीन प्रिंटआउट

(ख) ऑनलाइन आवेदन पत्र में जमा किए गए मूल दस्तावेज़ और चरण ।।। के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद अभ्यर्थी लॉगिन।
(ग) सभी मूल दस्तावेजों की विधिवत स्वप्रमाणित- तीन फोटोकॉपी

(घ) आवेदन मे प्रस्तुत पासपोर्ट आकार की 30 रंगीन फोटोग्राफ चेहरे की समान विशेषताओं के साथ

(ङ) 3.5 सेमी x 2.5 सेमी आकार का रंगीन छायाचित्र नीले पृष्ठभूमि के साथ – (10 प्रतियां)

(च) माता/पिता की इच्छुकता संबंधी प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

(छ) पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

(ज) परिवार के विवरण से संबंधित प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

(झ) चरित्र प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

(ण) इच्छुकता संबंधी प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

(ट) साक्ष्यांकन प्रपत्र (संवर्ग के नाम के साथ) – (03 मूल प्रतियां)

(ठ) वर्तमान में किसी सरकारी संगठन में कार्यरत अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र की मूल प्रति, चार फोटोकॉपी के साथ प्रस्तुत करनी होंगी। (यदि लागू हो)

(ड) पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेन्स या पासपोर्ट) जैसा कि ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत/अपलोड किया गया है।

नोट – (i) क्रम संख्या (च) से क्रम संख्या (ट) तक चरण -III का फॉर्मेट भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट **https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/doc_Stage3.html** पर उपलब्ध है।

(ii) चरण I, II तथा III के दौरान उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(iii) सभी फोटोकॉपी को अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर कर स्व प्रमाणित किया जाए। फोटोकॉपी में-अभ्यर्थी के नाम और अनुक्रमांक का विवरण होना चाहिए।

(iv) **बैंक खाता खोलने तथा स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या उत्पन्न करने के लिए चरण-III में आधार कार्ड तथा आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य है।**

11. **चिकित्सा मानक**

भर्ती कार्मिकों के प्रवेश के लिए निर्धारित मेडिकल मानकों के वर्तमान विनियमों के अनुसार प्राधिकृत **रक्षा बलों के सैन्य चिकित्सकों** द्वारा चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(क) **लंबाई** न्यूनतम लंबाई 157 सेमी. है। लंबाई मानकों को असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अधिवास वाले अभ्यर्थियों हेतु 157 सेमी. से 5 सेमी तक कम किया जा सकता है। लक्षद्वीप के अधिवास वाले अभ्यर्थियों हेतु लंबाई मानक 2 सेमी तक कम किया जा सकता है।

(ख) **सीना** आनुपातिक होना चाहिए । न्यनूतम फुलाव 5 सेमी।

(ग) **वजन** आयु तथा ऊंचाई के अनुसार ± 10 प्रतिशत स्वीकार्य ।

(घ) **श्रव्यशक्ति** सामान्य ।

नोट

(i) अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे चिकित्सीय परीक्षण से पूर्व अपने कान से मोम साफ करवा लें एवं दाँत से टार्टर निकलवा ले।

(ii) लंबाई में छुट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी को अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने कि स्थिति में लंबाई में छूट नहीं दी जाएगी।

(iii) विस्तृत चिकित्सा मानकों को https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/careerOpportunity/navik/gd पर जांचा जा सकता है।

(च) **<u>टैटू.</u>** शरीर के किसी भी हिस्से पर स्थायी टैटू कि अनुमति नहीं होगी। हालांकि भारत सरकार के द्वारा घोषित जनजातीय क्षेत्रों के समुदायों के अभ्यर्थियों को कुछ रियायतें दी गई हैं। अन्य अभ्यर्थियों के लिए, शरीर पर स्थायी टैटू केवल बाहों के अंदरूनी हिस्से यानि कोहनी के अंदर से कलाई ताज और हथेली के पीछे/हाथ के पीछे (पृष्ठीय) हिस्से पर ही स्वीकार्य है। इस संबंध में विवरण भारतीय तटरक्षक भर्ती कि वेबसाइट https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/assets/img/downloads/doc/Tattoo.pdf. पर उपलब्ध है ।

<u>नोट:-</u> उपरोक्त मेडिकल मानकों वाले अभ्यर्थी ही केवल चयन के लिए उपस्थित हो। उपर्युक्त मानकों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। मेडिकल मानकों के संबंध में भारतीय तटरक्षक का आदेश ही अंतिम प्राधिकार होगा।

12. **<u>प्रशिक्षण</u>** **नाविक (जनरल ड्यूटी)** के लिए बुनियादी प्रशिक्षण यथासंभव सितंबर 2024 के प्रारंभ/मध्य में आई एन एस चिल्का में शुरू होगा जिसके बाद उन्हें आबंटित ट्रेड में समुद्री तथा वृत्तिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मूलभूत प्रशिक्षण में प्रदर्शन तथा सेवा की आवश्यकतानुसार शाखा/ट्रेड का आबंटन किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी समय उनकी प्रगति जिसमें शिक्षा संबंधी प्रगति भी शामिल है, या व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर अभ्यर्थियों को **अनुपयुक्त** करार देकर कार्यमुक्त किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आनलाइन आवेदन या दस्तावेज भर्ती के किसी भी चरण में असत्य पाये जाने पर भी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के किसी भी चरण पर सेवामुक्त किया जा सकता है।

13. **<u>सामान्य दिशानिर्देश:-(जिनका पालन अभ्यर्थी द्वारा किया जाए अन्यथा ,अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी</u>**

(क) अनुशासनिक कारणों से किसी दूसरे प्रशिक्षण केंद्र से हटाए गए अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होगें।

(ख) अभ्यर्थियों को किसी आपराधिक आरोप पर गिरफ्तार, दोषी या अभियोजित नहीं हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थियों पर आपराधिक आरोप का मामला किसी न्यायालय में लंबित नहीं होना चाहिए। दांडिक कार्यवाहियों का सामना कर रहे अथ्यर्थियों को इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करने से विवर्जित किया जाता है।

(ग) ऑनलाइन आवेदन भरते समय के साथ ही साथ परीक्षा के विभिन्न चरणों/ चरण-IV तक चयन प्रक्रिया/ प्रशिक्षण अकादमी में शामिल होने तक अभ्यर्थी के खिलाफ किसी भी अदालत में , एफ आई आर दर्ज होने के बाद कोई भी आपराधिक मामला या पुलिस जाँच लंबित नहीं रहनी चाहिए। किसी भी अपराध के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार की आपराधिक अदालत में शामिल कोई भी अभ्यर्थी भारतीय तटरक्षक के किसी भी पद के लिए आवेदन करने के अयोग्य है तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि ऐसा पाया जाता है, तो अभ्यर्थी को आगे की भर्ती प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण अकादमी से बर्खास्त/वंचित कर दिया जाएगा।

(घ) चरण-II के दौरान प्रस्तुत सभी मूल प्रमाणपत्र एवं अंकसूचियाँ सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी को वापस किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा चरण III-उत्तीर्ण होने पर, चरण-III के दौरान प्रस्तुत सभी मूल दस्तावेज एवं अंकसूची, भारतीय तटरक्षक अपने पास सुरक्षित रखेगा एवं चरण III-में अनुत्तीर्ण होने पर सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी को वापस किए जाएंगे।

(ङ) किसी विशेष बैच के लिए अभ्यर्थी का चयन केवल उसी बैच के लिए वैध होगा। ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनका नाम अंतिम चयन सूची में न हो, अगले बैच में प्रवेश का दावा नहीं कर सकते । ऐसे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में नए सिरे से सम्मिलित होना होगा बशर्ते कि वे नए बैच के लिए पात्रता मानदंड पूरा करें।

(च) डाक द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(छ) चरण-II में प्रारंभिक चिकित्सीय परीक्षण पास कर चुके एवं रिक्तियों के अनुसार मेरिट क्रमसूची में स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को ही चरण-III के लिए ई-प्रवेश पत्र भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आई एन एस चिल्का के प्रशिक्षण संस्थान पर खुद के खर्च पर पहुँचना होगा।

(ज) 30 दिसंबर 2025 के बाद इस बैच की भर्ती/नामांकन के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ का प्रत्युत्तर नहीं दिया जाएगा।

(झ) परीक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासनहीन गतिविधियों जिसमें नकल/अनाचार शामिल हैं, में लिप्त होने का परिणाम निरहर्ता होगा। नकल/अनाचार संबंधी मामलों में भारतीय तटरक्षक का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी अभ्यर्थियों पर बाध्य रहेगा।

(ञ) भारतीय तटरक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रतिरूपण को बहुत गंभीरता से लेता है। आवेदक तथा जाली अभ्यर्थी दोनों के विरुद्ध एफआईआर/आपराधिक कार्यवाही शुरु की जाएगी

(ट) किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए या परीक्षा परिसर में अव्यवस्था पैदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करने वाले अभ्यर्थी को भारतीय तटरक्षक की वर्तमान तथा आगामी परीक्षाओं में उपस्थित होने से रोक दिया जाएगा। अभ्यर्थी की पात्रता, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (चरण –I)/ पीएफटी/मूल्यांकन परीक्षा प्रारंभिक चिकित्सा (चरण-II) दस्तावेज़ सत्यापन या अन्यथा के संबंध में भारतीय तटरक्षक का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थी पर बाध्य रहेगा। अभ्यर्थी जिनकी अभ्यर्थिता पिछले बैच में कदाचार/दुर्व्यवहार के कारण रद्द कर दी गई थी, वे इसके लिए पात्र नहीं हैं।।

(ठ) नामांकन से पूर्व, पात्रता के लिए आवेदन तथा मूल दस्तावेजों की आगे समीक्षा की जाएगी तथा यदि भर्ती के किसी भी चरण में और सेवा में शामिल होने के बाद भी किसी भी रूप से अभ्यर्थी अपात्र पाया गया तो उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ड) **ऐसे 'मुक्त विद्यालय' जो एआईसीटीई/ सीओबीएसई से मान्यता प्राप्त नहीं हैं के अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं।**

(ढ) शुल्क सफलतापूर्वक अदा कर (अजा/अजजा वाले अभयर्थी जिन्हे शुल्क के भुगतान मे छूट प्राप्त है को छोड़कर) सफलतापूर्वक आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन में दिए गए प्राथमिकताओं के अनुसार परीक्षा केंद्र आंवटित किया जाएगा। यदि अनेक अभ्यर्थी एक ही परीक्षा केंद्र के लिए आवेदन

करते हैं, तो तटरक्षक अभ्यर्थी को किसी भी अन्य परीक्षा केंद्र को आंवटित करने का अधिकार रखता है चाहे वह अभ्यर्थी की वैकल्पिक सूची में शामिल हो या नहीं।

(ण) तटरक्षक को किसी एक केंद्र में परीक्षा निरस्त करने एवं उस परीक्षा को किसी अन्य केंद्र में किसी अन्य तिथि में कराने का अधिकार है।

(त) तटरक्षक को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में इस बैच के संपूर्ण भर्ती को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार है।

(थ) परीक्षा के दौरान मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। भारतीय तटरक्षक ऐसे किसी भी सामग्री को अनुचित साधन मानता हैं। यदि परीक्षा के चरण-I,II एवं III के दौरान किसी अभ्यर्थी को मोबाइल, ब्लूटूथ या इसी प्रकार के किसी दूसरे रिकॉर्डिंग/स्केनिंग/श्रवण/कैप्चरिंग साधन इत्यादि के साथ पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी तथा विधि के अनुसार तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी जिसमें प्राथमिकी रिपोर्ट की प्रक्रिया शामिल है ।

(द) भारतीय तटरक्षक किसी इलेक्ट्रानिक उपकरण की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा शुरू होने के बाद और बायोमैट्रिक की पंजीकरण प्रक्रिया के पश्चात किसी भी कारणवश परीक्षा स्थान/कक्ष छोड़ने या शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ध) परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले सभी अभ्यर्थियों की तलाशी ली जाएगी।

(न) सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता हैकि वे सावधान रहें तथा किसी अन्य अभ्यर्थी के संदेहास्पद गतिविधियों की जानकारी तत्काल ही निरीक्षक के ध्यान में लाएं।

(ध) सफल आनलाइन पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों के पास वैध ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। भारतीय तटरक्षक द्वारा अभ्यर्थियों के साथ संपर्क का माध्यम ईमेल मोबाइल पर एसएमएस , एवं भारतीय तटरक्षक भर्ती की वेबसाइट रहेगा। भर्ती कार्यक्रम में परिवर्तन संबंधी जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने ईमेल एवं भारतीय तटरक्षक के वेबसाइट को नियमित रूप से अवलोकन करते रहे। अपने ईमेल एवं भारतीय तटरक्षक के वेबसाइट को नियमित रूप से अवलोकन न करने से अगर अभ्यर्थी विभिन्न भर्ती चरणों में शामिल नहीं हो पाता तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी। भारतीय तटरक्षक की भर्ती वेबसाइट में दर्शाए अपडेट एवं ईमेल का प्रत्युत्तर न देने से अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। यदि अभ्यर्थी ईमेल द्वारा भेजे गए महत्वपूर्ण भर्ती सूचनाओं एवं वेबसाइट को नियमित रूप से अवलोकन करने से चूकता है तो भारतीय तटरक्षक इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

(न) अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन ध्यान से भरना होगा क्योंकि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में गलत जानकारी की गलती को स्वीकार करने वाले उम्मीदवारों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हलफनामे पर भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा के किसी भी चरण में विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(प) अभ्यर्थियों को अपना यथा लागू जाति संबंधी विवरण (अजा/अजजा/अपिव(नॉनक्री-मी)/ ईडबल्यूएस) ध्यान से भरना होगा क्योंकि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती।

पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन में जाति के गलत विवरण घोषित किए थे और बाद में सामान्य श्रेणी अभ्यर्थी के रूप में लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति मांगी। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिए गए गलत घोषणा के कारण यह अनुमत्य नहीं है और परिणामस्वरूप भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में एवं सेवा मे शामिल होने के बाद भी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी।

(फ) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आनलाइन आवेदन को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना ही समय पर आवेदन प्रस्तुत करें।

(ब) चरण-I,II एवं III के ई-प्रवेश पत्र में उल्लिखत तारीख एवं समय पर रिपोर्ट न करने पर अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी।

(भ) भारतीय तटरक्षक अंतिम तिथि के भीतर या भारतीय तटरक्षक के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अपने आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।

(म) परीक्षा के संचालन में कुछ समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना को पूर्णत: अस्वीकार नहीं किया जा सकता जो परीक्षा को और/या उसके परिणाम को प्रभावित कर सकता है। उस स्थिति में उस समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थियों के आवागमन, परीक्षा में देरी शामिल हो सकता है। पुन: परीक्षा भारतीय तटरक्षक/परीक्षा संचालन निकाय के पूर्ण विवेक पर आयोजित की जाती है। अभ्यर्थी पुन: परीक्षा हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगे। जो अभ्यर्थी परीक्षा की विलंबित प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं या उसके लिए आवागमन के अनिच्छुक हैं तो उन्हें प्रक्रिया से सरासरी तौर पर खारिज किया जाएगा।

(य) कृपया नोट करें कि उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसकी घोषणा केवल वेबसाइट https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/ पर की जाएगी और अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के शुद्धिपत्र हेतु नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करना होगा। यदि अभ्यर्थी वेबसाइट पर जारी शुद्धिपत्र का अवलोकन करने से चूकता है और तदनुसार कार्य नहीं करता है या आवश्यक शुद्धिपत्र का अनुपालन नहीं करता है तो उस स्थिति में भारतीय तटरक्षक उसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

(र) अभ्यर्थी को बहुधा पूछे गये प्रश्नों के विषय में https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/faq.html वेबसाईट पर जांच करना चाहिए, तथा ऑनलाईन आवेदन करते समय व परीक्षा के विभिन्न चरणों में उसका अनुपालन करना चाहिए।

(ल) ऑनलाईन आवेदन भरते समय प्रयोग मे लाये गये मोबाईल तथा ई-मेल आई डी को स्मरण रखना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थी के साथ पत्राचार केवल ई-मेल या आईसीजी वेबसाइट https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept के माध्यम से ही किया जाएगा। आवेदन जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को ई-मेल आई डी तथा मोबाईल नंबर केवल कूट भाषा में ही दिखाई पड़ेगा।

(व) दस्तावेजों/अतिरिक्त दस्तावेजों की अपलोडिंग चरण-II के लिए ई-प्रवेश पत्र के डाउनलोडिंग तक प्रतिबंधित रहेगी। चरण-II के ई-प्रवेश पत्र के डाउनलोडिंग के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा कोई भी दस्तावेज अपलोड नही किया जा सकेगा। भारतीय तटरक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में दस्तावेजों के अपलोड होने की विफलता के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त मानी जाएगी।

(श) जिन अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र कि वैधता (अजा/अजजा/ अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस) चरण-II तथा चरण-III से पहले समाप्त हो रही है , उन्हें चरण-II तथा चरण-III के लिए उपस्थित होते समय पुराने प्रमाण पत्र के साथ नवीनीकृत/नया प्रमाण पत्र लाना होगा। पुराना प्रमाण पत्र के साथ नवीनीकृत/नया प्रमाण पत्र लाने में विफलता अभ्यर्थिता रद्द करने का कारण बनेगी।

(ष) यदि अभ्यर्थी धोखाधड़ी से (अजा/अजजा/ अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस) का दावा कराते हैं अथवा अन्य नॉन बोनाफाइड लाभ प्राप्त करते हैं, तो उन्हें भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित वर्तमान और भविष्य कि परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

(स) दस्तावेज़ सत्यापन चरण II के बाद भी भर्ती प्रक्रिया के कई चरणों में किया जाता है। उम्मीदवारों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने ईमेल और आईसीजी वेबसाइट को नियमित रूप से दैनिक आधार पर देखते रहे । यदि उम्मीदवार आईसीजी द्वारा वेबसाइट या ईमेल पर पोस्ट की गई अपडेट की जांच करने में विफल रहता है तो कोई संचार अलग से नहीं किया जाएगा और उम्मीदवार इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा ।

(ह) अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन से पहले आईसीजी वेबसाइट https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/reasonForRejection.html पर दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अस्वीकृति के सामान्य कारणों को देखना होगा। यदि दस्तावेज़ "दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अस्वीकृति के सामान्य कारणों" के मानकों के अंतर्गत आता है, तो उन्हें इस विज्ञापन के जवाब में आवेदन न करने का निदेश दिया जाता है।

(त्र) अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में निर्देशित किया जाता है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें तथा अंतिम तिथि कि प्रतीक्षा न करें ताकि वेबसाइट पर अधिक लोड होने के कारण डिस्कनेक्शन/अक्षमता के कारण आईसीजी वेबसाइट पर लॉगिन करने में विफलता से बचने या बंद होने कि संभावना से बचा जा सके।

(ज्ञ) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेजों को चोरी या लापरवाही के कारण न खोएं । चोरी या लापरवाही के कारण आवेदन में अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफलता के कारण उम्मीदवार की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी । इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही उम्मीदवार अपने दस्तावेजों की कथित चोरी के संबंध में फोटो प्रतियों के साथ FIR/हलफनामा प्रस्तुत करते हो ।

(क क) किसी भी परिस्थिति में किसी भी चरण में जन्मतिथि एवं लिंग बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा गलत जानकारी पाए जाने पर किसी भी चरण मे अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(क ख) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले आवेदन के प्रिंट पूर्वावलोकन का विकल्प प्रदान किया जाएगा। इस सुविधा का उपयोग अभ्यर्थियों द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए किया जाना चाहिए की उनका आवेदन सभी पहलुओं (आवश्यक विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, विषयवार अंक/सीजीपीए (जैसा लागू हो), दस्तावेजों की वैधता तिथि, श्रेणी प्रमाणपत्र विवरण आदि) में सही है तथा विज्ञापन में निर्धारित नियमों के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन में अस्वीकार नहीं होगा। इस सुविधा का उपयोग ऑनलाइन अंतिम सबमिशन से पहले कितनी भी बार किया जा सकता है।

(क ग) उपर्युक्त बिन्दु (क ख) के अलावा, पंजीकरण पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में केवल कुछ फील्ड को संपादित/सुधार करने के लिए 02-03 दिनों की अवधि के लिए संपादन/सुधार विंडो प्रदान की जाएगी। संपादन/सुधार विंडो की अवधि अभ्यर्थियों को भारतीय तटरक्षक भर्ती वेबसाइट

पर स्क्रॉल तथा ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन आवेदन भरते समय की गई गलतियों को सुधारने के लिए अभ्यर्थियों को सम्पादन विंडो का उपयोग करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र, अपलोड किए गए दस्तावेज़ (चरण-I तथा II में) तथा चरण-II में नाम, जन्मतिथि, माता -पिता के नाम, विषयवार अंक/सीजीपीए (जो भी लागू हो), दस्तावेजों की वैधता, जाती प्रमाण पत्र विवरण आदि के संदर्भ में भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति/भिन्नता/त्रुटि दस्तावेज़ सत्यापन में विफलता का कारण बनेगी तथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(क घ) **अभ्यर्थियों को कक्षा 10 वीं, कक्षा 12वीं और डिप्लोमा की संबंधित अंकसूची के अनुसार सभी विषयों के अंक दर्ज करने होंगे। अपूर्ण/गलत अंक दर्ज करने या अंकसूची के केवल 02 या 03 विषयों के अंक दर्ज करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।**

(क ङ) आधार कार्ड धारक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहचान प्रमाण के लिए पहले विकल्प के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। यदि अभ्यर्थी बिना आधार कार्ड के है तथा भर्ती के आगे के चरणों के लिए शोर्टलिस्ट किया जाता है, तो अभ्यर्थी को आधार कार्ड तथा आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर सुनिश्चित करना होगा क्योंकि बैंक खाता खोलने तथा चरण-III में स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या उत्पन्न करने के लिए यह अनिवार्य है।

14. **<u>यात्रा व्यय:-</u>** ऐसे अजा/अजजा अभ्यर्थी, जो केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत न हो, को ट्रेन के साधारण दूसरे दर्जे का किराया/सरकारी बस/स्टीमर के द्वारा निकटतम दूरी से तय यात्रा के किराये की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार के विनियमों के अनुसार मूल टिकट के प्रस्तुतीकरण पर की जाएगी, यदि अभ्यर्थी का गृहस्थान परीक्षण केंद्र(चरण-I) से 30 किमी से अधिक की दूरी पर हो। अजाअजजा के/ अभ्यर्थियों को भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट से यात्रा प्रपत्र डाउनलोड करना होगा और भारतीय तटरक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

15. **<u>वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ:-</u>**

(क) **<u>नाविक (जनरल ड्यूटी)</u>** 21700/- (वेतन लेवल -3) के मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता और वर्तमान विनियमों के अनुसार कार्य की प्रकृति/ तैनाती के स्थान के आधार पर अन्य भत्ते ।

16. **<u>पदोन्नति एवं अनुलब्धियां:-</u>**

(क) 47600/- के वेतनमान (वेतन लेवल 8 -) एवं महंगाई भत्ते के साथ **प्रधान अधिकारी** के रैंक तक पदोन्नति के अवसर उपलब्ध है। अफसर कैडर पर पदोन्नति निष्पादन तथा उपर्युक्तता पर आधारित होगा।

(ख) **<u>अन्य लाभ</u>**

(i) वर्तमान नियमों के अनुसार मुफ्त राशन, मुफ्त समवस्त्र। स्वयं तथा आश्रित पालकों सहित परिवार हेतु मुफ्त मेडिकल उपचार।

(ii) स्वयं तथा परिवार के लिए सरकारी आवास

(iii) प्रति वर्ष 45 दिन की अर्जित छुट्टी, 08 दिन की आकस्मिक छुट्टी, सरकारी नियमानुसार स्वयं, परिवार तथा आश्रित पालकों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)

(iv) अंशदायी पेंशन योजना तथा सेवानिवृत्ति पर ग्रैच्युटी।

(v) कैंटीन एवं अनेक ऋण सुविधाएँ।

(iv) सेवानिवृत्ति के बाद ईसीएचएस मेडिकल सुविधाएं।

(ग) **बीमा सुरक्षा.** भर्ती कार्मिकों के लिए 75लाख की बीमा सुरक्षा (अंशदान पर आधारित) लागू है।

नोटः- सरकारी आदेशानुसार वेतन, अनुलब्धियों,पदोन्नति,बीमा सुरक्षा एवं अन्य हितलाभ में परिवर्तन किया जा सकता है।

.17 सभी शाखाओं की नौकरी की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दिये गए लिंक से प्राप्त किया जा सकता है -: https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/join_navik_gd.html.

* **विज्ञापन के हिंदी रूपांतर एवं अद्यतन जानकारी के लिए अभ्यर्थी तटरक्षक भर्ती वेबसाइट https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/ देखें। यह विज्ञापन केवल जानकारी के लिए दिया जा रहा है।** यह केवल विज्ञापन का सूचक है । किसी भी न्यायालय में केवल अँग्रेजी विज्ञापन का उल्लेख किया जाएगा, न कि हिंदी संस्करण का। अँग्रेजी संस्करण हमेशा हिंदी विज्ञापन पर सर्वोपरि है।

चेतावनी: भारतीय तटरक्षक में चयन योग्यता के आधार पर और निष्पक्ष रूप से किया जाता है। अभ्यर्थी ऐसे अनैतिक व्यक्तियों के संपर्क में न आए जो स्वयं को भर्ती एजेंट कहते है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत के लिए उम्मीदवार निदेशक (भर्ती) तटरक्षक मुख्यालय, भर्ती केंद्र, नोएडा से दूरभाष – 0120-2975817 पर संपर्क कर सकते हैं।

अस्वीकृतिकरण

विज्ञापन में दी गई शर्तें एवं नियम, दिशानिर्देश मात्र हैं और भर्ती प्रक्रिया के दौरान सरकार द्वारा जारी आदेश लागू होंगे जिनका समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन

तटरक्षक भर्ती कार्मिक परीक्षा (CGEPT) 02 /24 बैच के लिए

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि – 27 फरवरी 2024 (1730 बजे)